बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक– 11.01.25

सं0सं0–17/विविध–01–207/2024 ......45(17)...... बिहार सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एव प्रोन्नति नियमावली–2008 एवं (सशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:–

[RADIOLOGY-DEGREE]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000583	MD AFAQUE NEZAMI	EB	UR	01-03-1984	M	BHS	NMCH Patna
2	9240000381	NEHA GIRI	UR	UR	03-01-1994	F	N	PMCH Patna
3	9240000551	PRIYANKA KUMARI	EB	UR	31-10-1990	F	N	NMCH Patna
4	9240000649	PRITY RANJAN	EB	UR	24-01-1990	F	N	NMCH Patna
5	9240000611	KIRAN KUMARI	UR	UR	13-09-1990	F	N	PMCH Patna
6	9240000624	STUTI NUPUR	EW	UR	03-12-1993	F	N	GMC Bettiah
7	9240000375	ANAS MISBAH	EB	UR	08-10-1994	M	N	PMCH Patna
8	9240000324	KUMARI ANSHU LATA	UR	UR	16-08-1984	F	N	PMCH Patna
9	9240000377	PRATIK KUMAR	EB	UR	25-05-1996	M	N	JLNMCH, Bhagalpur
10	9240000598	ABHAY SHANKAR	EB	UR	02-03-1987	M	BHS	BMIMS Pawapuri, Nalanda
11	9240000462	SHASHANK SHEKHAR	BC	UR	06-05-1990	M	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
12	9240000660	FIRDAUSE RAB	UR	UR	09-03-1992	M	N	SKMCH, Muzaffarpur
13	9240000608	ANUPRIYA MISHRA	UR	UR	19-08-1992	F	N	SKMCH, Muzaffarpur
14	9240000501	ABHINAV KUMAR	UR	UR	08-02-1994	M	N	DMCH, Darbhanga
15	9240000442	DEEPAK KUMAR	EB	UR	28-12-1995	M	N	DMCH, Darbhanga
16	9240000704	MURARY BATSA	UR	UR	21-01-1989	M	BHS	GMC Purnea
17	9240000518	ZEESHANUL HAQUE	EW	UR	09-01-1994	M	N	DMCH, Darbhanga
18	9240000458	TARIQ IMRAN	EB	UR	10-02-1996	M	N	ANMMCH, Gaya
19	9240000640	RASHMI KUMARI	SC	UR	02-01-1989	F	N	ANMMCH, Gaya
20	9240000321	SHASHANK SAURAV	BC	UR	20-01-1993	M	N	JLNMCH, Bhagalpur
[RADIOLOGY-DIPLOMA]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000504	SUBODH KUMAR	BC	UR	03-10-1980	M	BHS	JNKTMCH Madhepura

11/01/25

2	9240000627	SURYAJITA KUMAR SINGH	EB	UR	01-12-1978	M	BHS	ANMMCH, Gaya
3	9240000671	RAVI RANJAN KUMAR	UR	UR	11-01-1985	M	BHS	GMC Bettiah
4	9240000374	DEEPAK KUMAR	SC	SC	03-03-1985	M	BHS	GMC Purnea

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षो के लिए होगी।
3. EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम–11 के अन्तर्गत किया गया है।
4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग के चिकित्सको को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एव अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि मे देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियॉ नियमानुसार की जायेगी।
6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सको को छोडकर अन्य सभी बाह्‌य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एवं कटौतियॉ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11.01.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग मे योगदान समर्पित करेंगे। बाह्‌य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने सबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रो की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगें।
9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति मे उक्त संस्थान के अन्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हो तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–207/2024 – 45(17) पटना/दिनांक– 11.01.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के सबंधित चिकित्सा संस्थानो के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी सबधित सीनियर रेजिडेट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि .– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

45(17)
11-01-25

11/01/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।